

योजना में सम्मिलित सभी खसरे की 90A का निर्भव दिनांक 25.8.2021 को हो चुका है। प्रति मूच सं 65/सी पर संलग्न है।

1. मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आधुनिक भूमि का नू-उपयोग U-1 (बावलीय) है। जिसमें आवासीय योजना अनुक्रम है।
2. योजना की भूमि में रा.भू.स.अभिनियम की धारा 90A की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमाओं का प्रमाणिकरण अनीन द्वारा किया गया है।
3. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी (एल.पी.)की 308 वीं बैठक दिनांक 03.11.2021 किया जा चुका है, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
4. योजना के मुख्यों पर पैरामीटर एवं सैट बैकस जमिना (अग्रपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।
5. योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
6. कार्प के मुख्यों के नियमानुसार कर्ब दिये गये हैं।
7. एल.टी./एच.टी. लाईन से प्रभावित मुख्यों का पट्टा एल.टी./एच.टी. लाईन हटाने के बाद दिया जायेगा।
8. आवासीय विकास कार्य के एच.टी. में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न मुख्यांश जमिना में रहने जाते हैं, मुख्यांश संख्या 1,2,3,4,5,6,12 कुल 7 मुख्यांश क्षेत्रफल 721.72 वर्ग मीटर।

सहायक नगर नियोजक  
जोन-11

उपस्थानक  
जोन-11

उपस्थानक  
जोन-11

सहायक नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अति. मु. नगर नियोजक,  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

# PROPOSED LAYOUT PLAN SHRI KRISHNA VILLA VILLAGE JAISINGHPURA BAS BHANKROTA TEHSIL SANGANER, JAIPUR

961  
B  
16.12.21

ROAD 30.00 Mtr.

ROAD 24.00 Mtr.

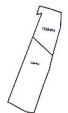


SCALE:-1=5



NOT TO SCALE

KHASRA MAP



NOT TO SCALE

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार नू उपयोग  
मुख्यों की निर्माण स्थिति :-

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित मुख्यांश -
2. खार सीवारी निर्मित मुख्यांश -
3. खाली मुख्यांश - 61
- कुल मुख्यांश

नौके के अनुसार योजना का नू उपयोग व तकनीकी विवरण :-

| क्रमक             | नू उपयोग                               | क्षेत्रफल (Sq.mtr) | प्रतिशत |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                 | RESIDENTIAL                            | 5066.46            | 52.46%  |
| 2                 | RETAIL COMM.                           | 48.00              | 0.50%   |
| 3                 | E.W.S.                                 | 236.48             | 02.45%  |
| 4                 | L.I.G.                                 | 294.99             | 03.05%  |
| 5                 | PARK                                   | 482.85             | 05.00%  |
| 6                 | RESERVE FOR WASTE DISPOSAL/AMBLE TOWER | 60.00              | 0.62%   |
| 7                 | ROAD                                   | 3468.21            | 35.92%  |
| कुल योजना क्षेत्र |                                        | 9656.99            | 100.00% |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| खातेदार का वाणिज्य क्षेत्र         |          |
| जेडीए वाणिज्य क्षेत्र              |          |
| जेडीए सेक्टर रोड                   |          |
| कुल सेक्टर रोड एवं वाणिज्य क्षेत्र | 343.01   |
| कुल खातेदार का क्षेत्र             | 10000.00 |
|                                    | 100.00%  |

योजना की भूमि की रा.भू.स. अभिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं नौके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम  
तहसीलवार

नाम  
उपायुक्त जोक-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक

NAME OF SCHEME :- JAISINGHPURA

TEH. :- SANGANER

ZONE NO. 11

SECTOR NO.52

SCALE 1=

DRG. NO.

S.T.P.

A.T.P. ZONE D.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

EXISTING ROAD 12 MTR WIDE

रा.भू.स.पट्टा दर्ज कराया गया है।